रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939
No. 3009] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3440(अ).— आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक संस्था, 'स्वास्थ्य साथी समिति' कोलकाता को, उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

"(क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अनुदान; और

(ख) अनुदान पर ब्याज आय राशि।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'स्वास्थ्य साथी समिति' कोलकाताः—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति वित्तीय वर्षो के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 88 /2017, फा. सं.300196/22/2017-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।